राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 04/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
डूंगरपुर। .....प्रार्थी

बनाम्

मैसर्स बासिया स्टील कॉर्पोरेशन,
54,मल्होत्रा नगर, रोड नं.1,वी.के.आई,एरिया, जयपुर। .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से

अनुपस्थित । .....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.06.2015

निर्णय

1. उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा **अपील संख्या 924/2010/जयपुर**, में पारित निर्णय दिनांक **21.12.2011** के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थी ने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक **21.12.2011** में अभिलेख की प्रकट भूल होने के कारण इसे, परिशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

2. इस संबंध में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी व्यवहारी द्वारा माल के परिवहन के दौरान, माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न दस्तावेज कूटरचित होने के कारण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर, अप्रार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांच चौकी, रतनपुर, जिला–डूंगरपुर द्वारा **जरिये आदेश दिनांक 23.11.2006** के शास्ति आरोपित की गयी थी, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने **जरिये अपील आदेश दिनांक 17.02.2010 अपील स्वीकार कर** आरोपित शास्ति अपास्त कर दी। जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर **कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये आदेश दिनांक 21.12.2011 स्वीकार कर ली गयी।** इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पारित आदेश दिनांक में 21.12.2011 के पृष्ठ संख्या–6 के द्वितीय पैरा में

लगातार.....2

टंकण की त्रुटि के कारण "परिणामतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है..." अंकित हो गया है, जिसे प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र के जरिये प्रार्थी द्वारा परिशोधित कराना चाहा गया है।

3. बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित निर्णय दिनांक 21.12.2011 का समग्र रूप से अवलोकन व अध्ययन करने पर यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जरिये आदेश दिनांक 21.12.2011 के जरिये व्यवहारी के विरूद्ध कायम शास्ति को पुनर्स्थापित किया गया है। परन्तु **पारित आदेश दिनांक में 21.12.2011 के पृष्ठ संख्या–6 के द्वितीय पैरा में टंकण की त्रुटि के कारण *"परिणामतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है..."* अंकित हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र के जरिये *"परिणामतः राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है..."* परिशोधित कराना चाहा गया है।** अतः उक्त एक टंकण त्रुटि होने के कारण उक्त को परिशोधित कर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

6. बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2011, व विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा की गयी बहस का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अध्ययन करने के उपरांत यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि पारित निर्णय दिनांक 21.12.2011 **के पृष्ठ संख्या–6 के द्वितीय पैरा में टंकण की त्रुटि के कारण *"परिणामतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है..."* अंकित हो गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र स्वीकार कर,** पारित निर्णय दिनांक 21.12.2011 **के पृष्ठ संख्या–6 के द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति *"परिणामतः राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है..."* किया जाता है। जिसे उक्तानुसार ही पढ़ा जाये। शेष पारित आदेश दिनांक 21.12.2011 यथावत रखा जाता है।**

7. परिणामतः, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

4.6.2015

(मदन लाल)
सदस्य

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष